फ्लाइट से इंदौर पहुंची नेपाल-बिहार की जेबकट गैंग

- 9 हजार में उड़कर आए, 300 के कमरे में छिपे, गेर से पहले धराए
- गेर की भीड़ में जेब काटने की साजिश नाकाम
- लाखों की भीड़ में वारदात की थी प्लॉनिंग

नव भारत न्यूज

इंदौर. विश्व प्रसिद्ध इंदौर की रंगपंचमी की गेर में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नेचिंग और जेबकटी की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में आए अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए छोटी ग्वालटोली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र के होटलों में सर्चिंग के दौरान नेपाल और बिहार से आए 20 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है. सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और उनके इंदौर आने के उद्देश्य तथा संभावित वारदातों की योजना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

थाना प्रभारी संजू कामले ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि ये सभी युवक करीब 9-9 हजार रुपये का फ्लाइट टिकट कराकर इंदौर पहुंचे थे, जबकि यहां पहचान छिपाने के लिए महज 300-300 रुपए में सस्ते कमरों में ठहरे हुए थे. रंगपंचमी के मद्देनजर चलाए जा रहे होटल चेकिंग अभियान के दौरान ग्वालटोली पुलिस ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र के गौरव होटल और नीलम होटल में दबिश दी, जहां ठहरे युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. पुलिस ने जब इनके आने के साधन और होटल में ठहरने के खर्च का मिलान किया तो मामला संदिग्ध नजर आया. महंगे हवाई सफर से आने के बावजूद बेहद सस्ते और असुरक्षित कमरों में रुकने को लेकर पूछताछ की गई, लेकिन युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद पुलिस ने सभी 20 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

ये संदिग्ध हैं पुलिस हिरासत में: हिरासत में लिए गए युवकों में राजेश्वर पिता सुदामा सिंह राठौर निवासी पटेर्वा सुगोली जिला पर्सा (नेपाल), मुकेश कुमार राय पिता जयकिरण राय नट निवासी जितपुरा जिला पर्सा (नेपाल), प्रमेश राय पिता महाराजा राय निवासी नुचटा गाला जिला पर्सा (नेपाल), भोला कुमार पिता धामू राय निवासी मोतीपुर कठिया मठिया जिला पश्चिम चम्पारण (बिहार), सुजित कुमार पिता स्व. वीरेन्द्र प्रसाद निवासी अरहर पिपरा जिला बेतिया (बिहार), मनीष राय पिता बिन्देश्वरी राय निवासी पिपरिया गदिया टोल जिला मोतिहारी (बिहार), दिलीप राय पिता गुरूप्रसाद राय निवासी खपवा जिला बारा (नेपाल), पूरन कुमार पिता स्व. पारस राउत निवासी अरहर पिपरा जिला बेतिया (बिहार), अजय पिता बद्रीलाल राय निवासी ग्राम अनंत सागर जिला पूर्वी चम्पारण (बिहार), गुड्डू कुमार पिता राजकुमार राउत निवासी अहरार जिला बेतिया (बिहार) शामिल हैं. इनके अलावा सुरेश पति केशु राउत निवासी अहरार पिपरा जिला वेस्ट चम्पारण, दिलीप कुमार पिता बद्रीलाल राय निवासी अनंत सागर पिपरिया जिला पूर्वी चम्पारण, वीरेन्द्र राय पिता महाराजा राय निवासी कठिया मठिया जिला बेतिया, रंजीत कुमार पिता जवाहर साह निवासी आदर्श नगर जिला मोतिहारी, मोहन राय पिता महाराजा राय निवासी कठिया मठिया जिला बेतिया, लक्ष्मण राउत पिता सुरेश राउत निवासी अहरार पिपरा जिला पश्चिम चम्पारण, सुरेश पिता रामचंद्र पासवान निवासी कठिया मठिया जिला पश्चिम चम्पारण, प्रभु राय पिता चोकट राय निवासी सुवेठिया जिला पर्सा (नेपाल), करण कुमार पिता वीरेन्द्र राय निवासी मठिया जिला पश्चिम चम्पारण और चंदन राय पिता हरिशंकर राय निवासी कठिया मठिया जिला पश्चिम चम्पारण (बिहार) शामिल हैं.

बिहार और नेपाल से जुड़े तार, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए युवकों में से कई नेपाल के सीमावर्ती जिलों और बिहार के चंपारण व मोतिहारी क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस को आशंका है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो बड़े मेलों और आयोजनों में भीड़ का फायदा उठाकर जेबकटी और चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देता है. इंदौर पुलिस ने बिहार और नेपाल सीमा से लगे थानों से इन सभी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है, ताकि इनके पुराने मामलों और गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

सौ करोड़ से निर्मित आईएसबीटी का पांचवी बार टेंडर जारी

- कल टेंडर की अंतिम तारीख

नव भारत न्यूज

इंदौर. आईडीए ने आईएसबीटी के पांचवी बार टेंडर जारी किए है, जिसकी कल अंतिम तारीख है. इसके दो दिन बाद मालूम पड़ेगा कि टेंडर में किसी ने भाग लिया है या नहीं. पूर्व में चार बार टेंडर जारी हुए थे, लेकिन चौथी बार में ग्वालियर कंपनी ने भाग लिया था, लेकिन अनुभव और संचालन की शर्तो पर खरी नहीं उतरी थी.

आईडीए ने पांचवी बार शर्तो में संशोधन कर टेंडर जारी किए थे और 10 मार्च टेंडर भरने के अंतिम तारीख है. आईडीए ने पांचवी बार के टेंडर में 20 साल की लीज और 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा. आईएसबीटी को 10 करोड़ रूपए सिक्युरिटी डिपाजिट, टेंडर में न्यूनतम 4 करोड़ रुपए और उस पर राशि का 1 प्रतिशत प्रति माह लीज रेंट के साथ आवेदन में 10 लाख रुपए प्रतिभूति राशि जमा करने की शर्त है. आईडीए को उम्मीद है कि इस बार टेंडर में शर्त में बदलाव कर न्यूनतम राशि और अन्य शर्तो में बहुत बदलाव कर दिया है, जिससे आसानी से कंपनियां भाग लेने आ सकती है. ध्यान रहे कि आईडीए ने 100 करोड़ की लागत से एमआर- 10 कुमेड़ी में 15 एकड़ जमीन पर आईएसबीटी का निर्माण किया है. आईडीए ने पूर्णत: वातानुकूलित भव्य बस स्टैंड बनाया है. बस स्टैंड से एक दिन में 1440 बसों का आवागमन हो सकता है. बसों और उनके ड्राइवर कंडक्टर के ठहरने से लेकर रेस्त्रां तक की व्यवस्था की गई है. 40 से ज्यादा टर्मिनल और मेट्रो से कनेक्टिविटी तक दी गई है. साथ ही बस स्टेंड पर 38 दुकानें, 16 रेस्टोरेंट की जगह और पहलू मंजिल पर 25 से ज्यादा कंपनियों के ऑफिस संचालित करने की जगह भी है.

प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि आईएसबीटी शुरू करें: आईडीए पर जिला प्रशासन का दबाव था कि आईएसबीटी शुरू करें. पूर्व में तय भी हो चुका था कि शुरू में 250 बसों का संचालन किया जाएगा और फिर धीरे धीरे बसों की संख्या में बढ़ोतरी होगी. यह बात अलग है कि आईएसबीटी का संचालन शुरू नहीं हो सका और बसों का संचालन अभी तक शुरू नही हो सका है.

आईडीए को रखरखाव करना पड़ रहा महंगा

आईडीए को आईएसबीटी के रखरखाव करना महंगा पड़ रहा है. सूत्रों के अनुसार बस स्टेंड की सुरक्षा और परिसर में 24 घंटे 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड तैनात है. साथ बस स्टैंड बिल्डिंग और अन्य संसाधनों के रखरखाव और सफाई व्यवस्था पर अलग लाखों रुपए खर्च हो रहे है. यदि मेंटेन नहीं किया तो सौ करोड़ के संपत्ति धूल खाकर खराब होने लगेगी.

120 की स्पीड बनी काल : 9वीं के छात्र की मौत

- मिट्टी के ढेर से टकराकर हवा में उछली तेज रफ्तार कार

इंदौर. खुड़ैल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का खौफनाक नजारा सामने आया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मिट्टी के ढेर से टकराई और हवा में उछलकर कई बार पलटते हुए बसों पर जा गिरी. इस भीषण हादसे में 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. खुड़ैल थाना प्रभारी करणी सिंह शक्तावत ने बताया कि देवगुराड़िया स्थित विनायक टाउनशिप में रहने वाले 16 वर्षीय सुशांत पिता भरत चौहान की इस दुर्घटना में जान चली गई, वह 9वीं कक्षा का छात्र था. घटना के समय वह अपने दोस्त के साथ कार में सवार था. मृतक के चाचा शुभम चौहान ने पुलिस को बताया कि सुशांत का दोस्त अपने जीजा की कार लेकर घर आया था. इसके बाद वह सुशांत को साथ लेकर इंडेक्स कॉलेज में अपनी महिला मित्रों से मिलने गया था. प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास के ढाबा संचालकों का कहना है कि कार की रफ्तार करीब 120 किमी प्रतिघंटा से अधिक थी. बताया जा रहा है कि कार चला रहे किशोर को ठीक से ड्राइविंग नहीं आती थी, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. कार की रफ्तार और दुर्घटना से जुड़े तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

5 सेकंड में घटा खौफनाक मंजर: प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इंडेक्स कॉलेज के पास अचानक सामने ट्रैफिक और बस दिखने पर चालक घबरा गया. घबराहट में उसने हैंड ब्रेक और पैर वाले ब्रेक एक साथ लगा दिए. इससे कार के टायर घिसटते हुए इंडेक्स पेट्रोल पंप से कॉलेज की पार्किंग के बीच बने मिट्टी के ढेर पर चढ़ गए और कार जोरदार तरीके से हवा में उछल गई. कार करीब 5 सेकंड तक हवा में रही और तीन बार पलटी खाते हुए आगे बढ़ी. इसके बाद वह ठहरिए के स्टॉप के पास जाकर पार्किंग में खड़ी दो बसों पर गिर गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बसों के कांच चकनाचूर हो गए, जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा. हादसे में सुशांत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहा उसका दोस्त सामान्य बताया जा रहा है.

परिवार ने उठाई कार्रवाई की मांग

हादसे के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश है. चाचा शुभम चौहान का कहना है कि वे चालक के साथ-साथ वाहन मालिक और चालक के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे. उनका कहना है कि बिना लाइसेंस और अनुभव के किशोर को कार देना गंभीर लापरवाही है. सख्त कार्रवाई से ही ऐसे मामलों में रोक लग सकेगी. सुशांत के परिवार में उसका एक बड़ा भाई भी है.

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक की मौत, साथी घायल

इंदौर. छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में रविवार अलसुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार हादसा सिलावटपुरा स्थित गणेश मंदिर के पास सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुआ. यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने तनवीर खान उम्र 19 साल और उसके दोस्त फैजान मंसूरी उम्र 22 साल को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर में तनवीर की मौत हो गई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि सेहरी के समय इलाके में कई युवक बाहर खड़े थे, तभी तेज गति से आई स्कॉर्पियो ने दोनों को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया. बताया गया है कि तनवीर अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में स्कॉर्पियो दिखाई दी है. पुलिस ने फुटेज के आधार पर वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है. वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक ने स्कॉर्पियो का करीब 5 किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन का नंबर नोट नहीं हो सका.

ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

इंदौर. लसूड़िया थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता घायल हो गए. मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि पिछले दिनों मेट्रो हॉल के पास वाइन शॉप के सामने घटना हुई थी. ट्रक चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार विनय शर्मा उम्र 50 साल और उनका बेटा रचित शर्मा उम्र 22 सड़क पर गिर गए. गिरने से विनय शर्मा के कंधे और पैर में चोट आई, जबकि रचित शर्मा को कमर के नीचे और गुप्तांगों में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा. बाद में उपचार के दौरान रचित शर्मा की मौत हो गई. पुलिस ने ट्रक नम्बर एमपी 09 एचएच 1814 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में महिला की मौत

इंदौर. खुड़ैल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. थाना प्रभारी कन्हैई सिंह शक्तावत ने बताया कि 37 वर्षीय फरियादी राम गोपाल पिता केसरसिंह चौहान निवासी ग्राम दुधिया थाना खुड़ैल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. घटना देर रात करीब 10.25 बजे इंदौर-नेमावर रोड स्थित उमरिया फाटा के पास हुई. बताया गया कि ट्रक नम्बर एमएच 40 सीडी 7740 के चालक ने वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल नम्बर एमपी 09 बीएच 2397 को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर लगने से बाइक सवार नीचे गिर गए. इस दौरान ट्रक का टायर बाइक के पीछे बैठी सीमाबाई के ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में रामसिंह को मामूली चोट आई है. पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रंगपंचमी पर 6 पेटी अवैध शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर. रंगपंचमी त्यौहार के चलते सतर्क द्वारकापुरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है. आरोपी के कब्जे से करीब 50 हजार रुपए कीमत की 6 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है.

थाना प्रभारी मनीष मिश्र ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरुशंकर नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने घर के पास अवैध शराब छिपाकर रखे हुए है और रंगपंचमी पर बेचने की तैयारी कर रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां से शिवम भार्गव उम्र 26 पिता मनोहर भार्गव निवासी गुरुशंकर नगर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 पीएम की 12 बोतल, बैकपाइपर की 22 बोतल तथा देशी मसाला शराब के 150 क्वार्टर बरामद किए हैं. जब्त शराब की कुल मात्रा 53 बल्क लीटर बताई जा रही है, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और शराब के स्रोत व अन्य शामिल लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

एक नजर में रंगपंचमी पर गेर के बाद निगम का विशेष सफाई अभियान

मात्र 35 मिनट में गेर मार्ग और राजवाड़ा की सड़कें साफ

नव भारत न्यूज

इंदौर. आज रंगपंचमी के गेर निकलने के बाद नगर निगम ने हर साल की तरह इस साल भी विशेष सफाई अभियान चलाया. मात्र 35 मिनट में राजबाड़ा क्षेत्र में सड़कों की सफाई कर दी गई. यह इंदौर की चाक चौबंद सफाई व्यवस्था का उदाहरण है.

इंदौर की ऐतिहासिक तथा परंपरागत रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर में कई गाड़ियों से हजारों टन रंग, गुलाल, पानी से पूरे गेर मार्ग गंदगी और कचरा जमा हो जाता है. आज फिर नगर निगम की टीम ने मात्र 35 मिनट में गैर मार्ग पर व विशेष कर शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई कर सड़कें चकाचक कर दी. यही है कारण है कि इंदौर पूरे देश में सफाई में अव्वल है. नगर निगम ने गैर समाप्त होने के तुरंत बाद सफाई व्यवस्था हेतु व्यापक संसाधन तैनात किए थे. इसके तहत 10 स्वीपिंग मशीन, 7 डंपर, 6 जेसीबी मशीन, 3 लॉन्ग हॉलिंग वाहन, 3 ट्रैक्टर, 30 ओपन वाहन, 20 जेट प्रेशर मशीन तथा 400 से अधिक सफाई मित्रों की विशेष टीम ने गैर मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों में सफाई कार्य कर सड़कों को पुन: स्वच्छ कर दिया.

कचरा संग्रहण की विशेष व्यवस्था

इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित करने के लिए गैर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर कचरा संग्रहण की विशेष व्यवस्था की गई थी. साथ ही अलग-अलग स्थानों पर कचरा एकत्रित करने व उठाने का कार्य किया गया. विशेष सफाई अभियान के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त क्षितिज सिंघल पूरे समय मौजूद रहे. सफाई के दौरान अपर आयुक्त प्रखर सिंह, निगम अधिकारी, सफाई मित्र पूरे संसाधनों के साथ मौके पर थे.

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.-जी 11)

क्रमांक/1128/अकरी/2026 इंदौर, दिनांक 13/02/2026
प्रकरण क्र./0459/ब-121/2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
1. **बृजेश कुमार चौबे पुत्र राजकिशोर चौबे**
2. **श्रीमती सरोज चौबे पत्नी बृजेश कुमार चौबे**
पता 1 : बीएम/43 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1 पीथमपुर धार मध्य प्रदेश 454775
पता 2 : वीई व्यावसायिक प्लॉट नं. 102, सेक्टर नं. 1 पिथमपुर गेट नंबर 1 पिथमपुर, धार 45475

द्वारा :- पेपर प्रकाशन।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक टॉवर, आईएफसी-2, 23वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, एल्फिंस्टन (पश्चिम), मुंबई 400013, भारत शाखा कार्यालय : वार्ड संख्या 08, आरएम टॉवर, नगर निगम संख्या 269, गोराकुंज चौराहा, महात्मा गांधी रोड़, राजवाड़ा के पास, इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा निवेदन किया गया है कि **बंधक संपत्ति** प्लॉट नं. 53 के पश्चिम तरफ का हिस्सा, गोल्ड सिटी फेज-1, गांव भैंसलास तहसील महू जिला इंदौर, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अत: इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर इंदौर **कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 09/03/2026** को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र)

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.-जी 11)

क्रमांक/1123/अकरी/2026 इंदौर, दिनांक 13/02/2026
प्रकरण क्र./0460/ब-121/2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
1. **अतुल शर्मा**
पता : मकान नंबर 50, वार्ड नंबर 1 आदर्श कॉलोनी, धन्नादखुर्द, पटेल पब्लिक, पीथमपुर (म.प्र.) **बंधक प्रॉपर्टी का पता** : प्लाट नं. 186 का दक्षिण भाग, गोल्ड सिटी, फेज-1, ग्राम भैंसलाय, तहसील महू, जिला इंदौर
2. **रितु शर्मा**
3. **विपुल शर्मा**
पता : मकान नंबर 50 वार्ड नंबर 1, आदर्श कॉलोनी, धन्नादखुर्द पटेल पब्लिक, पीथमपुर (म.प्र.)

द्वारा :- पेपर प्रकाशन।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक टॉवर, आईएफसी-2, 23वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, एल्फिंस्टन (पश्चिम), मुंबई 400013, भारत शाखा कार्यालय : वार्ड संख्या 08, आरएम टॉवर, नगर निगम संख्या 269, गोराकुंज चौराहा, महात्मा गांधी रोड़, राजवाड़ा के पास, इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा निवेदन किया गया है कि **बंधक संपत्ति** प्लॉट नं. 186 का दक्षिण भाग, गोल्ड सिटी, फेज-1, ग्राम भैंसलाय, तहसील महू, जिला इंदौर पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अत: इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर इंदौर **कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 09/03/2026** को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र)

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.-जी 11)

क्रमांक/1130/अकरी/2026 इंदौर, दिनांक 13/02/2026
प्रकरण क्र./0466/ब-121/2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
1. **जेएमके बेवरेज एंड एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड**
पता : 1199/2 कर्मज रोड़ बिलाड़ा शिवपुरी बिलाड़ा 473551
2. **अतुल खरल**
3. **सरोज खरल**
पता 1 : 16-बी-सेक्टर शिवधाम, कस्तूरबा ग्राम, शिवधाम कॉलोनी, इंदौर 452001
पता 2 : 1199/2 कर्मज रोड़ बिलाड़ा शिवपुरी बिलाड़ा 473551

द्वारा :- पेपर प्रकाशन।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक टॉवर, आईएफसी-2, 23वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, एल्फिंस्टन (पश्चिम), मुंबई 400013, भारत शाखा कार्यालय : वार्ड संख्या 08, आरएम टॉवर, नगर निगम संख्या 269, गोराकुंज चौराहा, महात्मा गांधी रोड़, राजवाड़ा के पास, इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा निवेदन किया गया है कि **बंधक संपत्ति** प्लॉट नं. 16 एवं 17 स्थित शिवधाम सेक्टर-बी ग्राम लिंबोदी तहसील व जिला इंदौर पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अत: इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर इंदौर **कक्ष क्रमाक जी-11 में दिनांक 09/03/2026** को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र)